fssai

कार्यालय जिलाधिकारी-उन्नाव

(खाद्य सुरक्षा एवं औषधिक प्रशासन अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

जनपद के सभी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं (थोक एवं फुटकर) एवं निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ के विक्रेताओं जैसे–

1) होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा, क्लब/कैन्टीन्स, कैटरर्स, भोजनालय।
2) थोक विक्रेता, पैकर्स, आपूर्ति कर्ता व कमीशन एजेन्ट, वितरक।
3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटने वाली दुकाने।
4) खाद्य तेल मिलें, धानी प्रचालक (कोल्हू), राईस मिल, आटा मिल, आटा चक्की, धान कुट्टी, धान मिलें इत्यादि विर्निमाता एवं विक्रेता
5) बेकरी, ब्रेड, खाद्य मसाला, नमकीन, आइसक्रीम की निर्माण व विक्रय इकाइयां।
6) मांस, मछली, मुर्गे, अण्डे के थोक एवं फुटकर विक्रेता।
7) प्रोप्राइटरी फूड, बेबी फूड, न्यूट्रीशनल फूड, शहद, मिल्क पाउडर, प्रोटीन पाउडर इत्यादि बेचने वाले मेडिकल स्टोर व जनरल स्टोर।
8) भ्रमणशील (फेरी वाले एवं ठेला वाले), खाद्य पदार्थ विक्रेता।
9) स्नैक्स (चाउमिंग, चिप्स, पापड़, बिस्कुट, समोसे, टिकिया, पकौड़ी) एवं चाय विक्रेता।
10) सभी प्रकार के थोक व फुटकर फल एवं सब्जी विक्रेता।
11) सभी प्रकार के पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, मैंगो जूस, फल जूस विक्रेता।
12) दुग्ध डेयरी, पनीर विक्रेता, खोया विक्रेता, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीने, घी निर्माता एवं स्थाई एवं फेरी से दूध बेचने वाले विक्रेता।
13) कत्था, सुपारी, पान मसाला, जर्दा इत्यादि बेचने वाले थोक एवं फुटकर विक्रेता।
14) अस्थाई दुकानें, गुमटी, पटरी पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले, चाट, कुल्फी इत्यादि बेचने वाले खाद्य कारोबार कर्ता।
15) मेले आदि में लगने वाली अस्थायी मिठाई व खाने–पीने की दुकाने।
16) खाद्य पदार्थ के ट्रान्सपोर्टर एवं भण्डारगृह।
17) सभी प्रकार के थोक व फुटकर गल्ला, गुड़, दलहन व तिलहन व्यवसयी व आढ़तिया।

इत्यादि जिन्होने अभी तक अपना पंजीकरण/लाईसेस नहीं कराया है वे कारोबार कर्ता अपना लाईसेन्स/पंजीकरण किसी भी दशा में **04-02-2014 के पूर्व** करा लें अन्यथा उनके विरूद्ध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसके तहत **रू0 5 लाख तक अर्थदण्ड तथा छः माह तक कारावास** का दण्डादेश है।

थोक खाद्य कारोबार कर्ताओं/विनिर्माताओं की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे दुकानदारों को खाद्य पदार्थ का क्रय विक्रय कदापि न करें, जिनके पास लाईसेन्स/पंजीकरण नहीं है। अन्यथा ऐसा करने वाले थोक कारोबरी व निर्माता भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत रू0 2 लाख तक के दण्ड से दण्डित होंगे।

लाईसेन्स/पंजीकरण हेतु प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता 04 पासपोर्ट साईज फोटो एवं फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति के साथ– कार्यालय–खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कमरा नं0 39 कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव में सम्पर्क करें– फोन नं0: 9415043377, 9454468603, 0515–282040

अभिहित अधिकारी **उन्नाव**	**नगर मजिस्ट्रेट** **उन्नाव**	**जिला अधिकारी** **उन्नाव**

बिना लाईसेंस/पंजीकरण, खाद्य पदार्थ का क्रय/विक्रय दण्डनीय अपराध है।

मिलावटी खाद्य पदार्थ का विक्रय/निर्माण/भण्डारण दण्डनीय अपराध है।

विशुद्ध खाद्य/पेय पदार्थ प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।